इकाई 9 लोकतांत्रिक*

इकाई की संरचना

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रणाली

9.2.1 लोकतंत्र की अवधारणा का उत्पत्ति और अर्थ

9.3 लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रणाली के तत्व

9.3.1 विचारधारा

9.3.2 संरचना और अल्पतंत्र

9.4 लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रणाली का प्रकार्य

9.4.1 राजनैतिक समाजीकरण और राजनैतिक प्रणाली

9.4.2 हित अभिव्यक्ति

9.4.2.1 संस्थागत हित समूह

9.4.2.2 संगठनात्मक हित समूह

9.4.2.3 गैर–संगठनात्मक हित समूह

9.4.2.4 अनियोजित हित समूह

9.4.3 हित समुच्चयन

9.4.4 राजनैतिक सम्प्रेषण

9.4.5 सरकारी प्रकार्य

9.5 राजनैतिक प्रक्रियाएँ

9.6 वैधता का आधार

9.6.1 पारंपरिक और करिश्माई प्राधिकरण

9.6.2 कानूनी–तर्कसंगत प्राधिकरण

9.6.3 आधुनिक राजनैतिक व्यवस्था की वैधता

9.7 सारांश

9.8 शब्दावली

9.9 उपयोगी पुस्तकें

9.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

* प्रो. रवीन्द्र कुमार के द्वारा ईएसओ 11, इकाई 18 से अनुकूलित की गई है।

9.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित अवधारणाओं को समझ सकेगें:

- लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रणाली की व्याख्या कर सकेगें,
- लोकतंत्र की उत्पत्ति और अर्थ का वर्णन कर सकेगें,
- लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रणाली के घटकों पर चर्चा कर सकेगें।

9.1 प्रस्तावना

इस खंड की पिछली इकाई में हम लोगों ने सर्वसत्तावादी राजनैतिक प्रणाली के बारे में अध्ययन किया है। इस इकाई में हम लोग लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रणाली के उत्पत्ति और लोकतंत्र की अवधारणा के अर्थ पर विचार–विमर्श करेंगे। एक लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रणाली में कुछ तत्व समाहित होते हैं। एक लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रणाली के इन तत्वों की व्याख्या करते हुए यह इकाई इसके विचारधारा, संरचना और प्रकार्य के अलावा राजनैतिक प्रक्रियाओं और एक राजनैतिक प्रणाली की वैधता के आधार पर प्रकाश डालती है।

9.2 लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रणाली

इस खंड में हम लोग लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रणाली के साथ–साथ औद्योगिक सामाजिक प्रणाली के विकास, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिवाद की विचारधाराओं के विकास का अध्ययन करेगें। ये विचारधाराएं लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था के विकास के लिए जिम्मेदार हैं।

औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था और पूंजीवाद के विकास के कारण मध्ययुगीन राजतंत्र आधुनिक लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रणाली में बदल गया। इस प्रणाली ने न्यूनतम अधिक स्वतंत्रता और राज्य द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांत पर जोर दिया। औद्योगिक–पूंजीवादी राज्यों ने उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में दुनिया के अधिकतर आदिम और कृषि आध ाारित समाजों पर अधिकार कर लिया और उन्हें अपने बाजारों में बदल दिया। इन राज्यों को पूंजीवादी साम्राज्यवादी राज्यों के रूप में जाना जाता था। पूंजीवादी–साम्राज्यवादी राज्य की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण ही दो विश्व युद्ध भी हुए। प्रथम विश्व युद्ध के पीछे पश्चिम से संबंधित नेताओं का मानना था कि वे दुनिया को लोकतंत्र को सुरक्षित बनाने लिए यह युद्ध लड़ा गया। सर्वहारा लोकतंत्र के नाम पर और लोगों के लोकतंत्र, और अफ्रीकी और एशियाई लोकतंत्र की कई किस्मों के नाम पर पश्चिमी उदार लोकतंत्र के खिलाफ संकल्प लिए गए। सोवियत संघ अब अविभाज्य नहीं रहा। चीन भी पूरी तरह से पश्चिमी देशों के समूह से बाहर चला गया है। और इस सबसे ऊपर, अफ्रीका और दक्षिण–पूर्वी एशिया के अधिकांश अविकसित राष्ट्रों ने स्वतंत्रता प्राप्त की है, इन परिस्थितियों में वे राज्य एकल राजनैतिक प्रणाली पर चलने लगे हैं। लेकिन ये सभी देश खुद को लोकतांत्रिक मानते हैं। यह लोकतंत्र के विभिन्न आयामों को इंगित करता है। अब हमलोग लोकतंत्र की उत्पत्ति और अर्थ पर विचार–विमर्श करेगें।

9.2.1 लोकतंत्र की अवधारणा की उत्पत्ति और अर्थ

एक राजनीतिक प्रणाली में या तो सीधे या राजनैतिक प्रतिनिधियों के चुनाव के माध्यम से राजनैतिक निर्णय लेने में नागरिकों की भागीदारी के लिए प्रदान करने वाली मंच को

लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र की अवधारणा ग्रीक डेमोक्रैटिया से आती है, जिसमें एक साथ डेमो (लोग) और क्रेटोस (नियम या पावर) आते हैं। यह स्पष्ट है कि समाज सम्राट, सम्राटों या अशिक्षित तानाशाहों के बजाय स्वयं के लोगों के द्वारा शासित होना चाहता है। हालाँकि, यद्यपि प्राचीन ग्रीस में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक भागीदारी का प्रचलन था, लेकिन फिर भी शासन के महत्वपूर्ण निर्णय नागरिकों के एक छोटे समूह द्वारा लिए जाते थे, और बाकी लोगों को विशेष अधिकार नहीं दिया गया था। लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा अलग–अलग समय पर विभिन्न समाजों में अलग–अलग प्रकार की रहे हैं। समय और स्थान के अनुसार लोगों द्वारा शासन का अर्थ भी बदला है। विभिन्न समयों में नागरिक की अवधारणा में वयस्क पुरुषों तक ही सीमित रखा गया है, जो केवल संपत्ति के मालिक हैं, और केवल एक निश्चित आयु के बाद के पुरुष के साथ–साथ महिला वयस्कों के लिए भी। प्रतिनिधि लोकतंत्र, जिसमें लोग अपनी ओर से कार्य करने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, यह लोगों द्वारा 'शासन करने' की सामान्य विधि बन गई है। 1990 के दशक में पूर्वी यूरोपीय साम्यवाद की समाप्ति के साथ ही उदार लोकतंत्र के स्वरूप को दुनिया भर में एक प्रमुख नमूने (Model) के रूप में देखा गया है।

लोकतंत्र को राजनैतिक प्रणाली के रूप में ऐसा जाना जाता है कि यह राजनैतिक समानता सुनिश्चित करने, स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा करने में सक्षम होता है। यह आम हित का बचाव करता है, नागरिकों की जरूरतों को पूरा करता है, नैतिक आत्म–विकास को बढ़ावा देता है, और प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जिसमें सभी के हितों को ध्यान में रखता है (हेल 2006)।

प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी राजनैतिक प्रणाली का स्वरूप है जिसमें किसी समुदाय को प्रभावित करने वाले निर्णय सीधे उसके सदस्य न लेकर बल्कि उनके द्वारा चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि लेते हैं। राष्ट्रीय सरकारों में, प्रतिनिधि लोकतान्त्रिक चुनावों के रूप में संसदों या समान राष्ट्रीय निकायों का गठन होता है। जिन देशों में मतदाता दो या दो से अधिक दलों के बीच चयन कर सकते हैं और जिनमें वयस्क आबादी के पास मतदान का अधिकार होता है, उन्हें आमतौर पर उदार लोकतंत्र कहा जाता है और इसमें ब्रिटेन, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

1980 के दशक की शुरुआत में लैटिन अमेरिका के कई देशों, जैसे कि चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना आदि राष्ट्र सत्तावादी सैन्य शासन से रूपांतरित होकर लोकतान्त्रिक प्रणाली में आ चुके हैं। इसी तरह, 1989 में कम्युनिस्ट ब्लॉक के पतन के बाद, कई पूर्वी यूरोपीय राज्यों उदाहरण के लिए रूस, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया अब लोकतांत्रिक राष्ट्र हो गए हैं। और, अफ्रीका में, पहले के अलोकतांत्रिक राष्ट्रों में से कई राष्ट जैसे–बेनिन, घाना, मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका अब लोकतांत्रिक आदर्शों को अपनाने चुके हैं। लोकतंत्र अब मुख्य रूप से पश्चिमी देशों में केंद्रित नहीं है, लेकिन अब दुनिया के कई क्षेत्रों में वांछित सरकार के रूप के रूप में, कम से कम सैद्धांतिक रूप में लोकतंत्र का समर्थन हो रहा है। अब हम लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रणाली के तत्वों पर चर्चा करेगें।

9.3 राजनैतिक प्रणाली के तत्व

एक लोकतांत्रिक समाज की राजनैतिक प्रणाली को (1) विचारधारा, (2) संरचना, (3) प्रकार्य, (4) प्रक्रिया और (5) आधार की वैधता के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है।

9.3.1 विचारधारा

विचारधारा को मान्यताओं और प्रतीकों की एक एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो उसके अनुसरणकर्ताओं को तर्कसंगत और विवेकपूर्ण अर्थ से अलग आकर्षित करता हो। इसमें अनुसरणकर्ताओं की भावनाओं में बहा ले जाने की शक्ति होती है। इसे अनुसरणकर्ताओं द्वारा विश्वास का एक सामग्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। सामान्यतया एक राजनैतिक प्रणाली व्यापक है और उस प्रणाली के भीतर विशेषकर राजनैतिक दलों की अपनी विचारधाराएं हो सकती हैं, जो सदस्यों को राष्ट्र या पार्टियों के लक्ष्यों और साधनों से अवगत कराएगी। इसका अर्थ यह है कि अनुसरणकर्ता न केवल बिना किसी सवाल के लक्ष्यों को स्वीकार करते हैं, बल्कि तमाम तरह के व्यवधान या जोखिमों के बाबजूद उन साधनों को स्वीकार करने लिए भी प्रतिबद्ध भी होते हैं। एक विचारधारा और इसके लक्ष्यों और साधनों के आंतरिकीकरण की मात्रा व्यक्ति के राजनैतिक समाजीकरण और अपने सदस्यों को अनुशासित करने की सीमा पार्टी की क्षमता पर निर्भर हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी विचारधारा को समझने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मात्रा अलग–अलग होती है। पार्टी के सदस्यों के राजनैतिक प्रदर्शन पर ही यह निर्भर करता है कि किस सीमा तक इसे समाहित किया जा सकें और पार्टी इसे किस हद तक महत्वपूर्ण मानती है।

विचारधारा राजनैतिक, आर्थिक या धार्मिक तत्वों पर आधारित हो सकती है। कभी–कभी, प्रजातीय और सांस्कृतिक तत्व भी विचारधारा के लिए आवश्यक आधार प्रदान कर सकते हैं। लोकतंत्र एक राजनैतिक विचारधारा है, जबकि साम्यवाद एक आर्थिक विचारधारा है और धर्मतंत्र एक धार्मिक विचारधारा है। हालांकि, उनमें से किसी एक के बारे में यह कहा नहीं जा सकता कि कोई एक क्षेत्र मात्र तक सीमित है। चूंकि राजनीति, अर्थशास्त्र और धर्म कई क्षेत्रों में एक–दूसरे पर अतिव्याप्त (overlap) होते हैं, ऐसा विशेष रूप से विकासशील समाजों में ही होता है जहाँ समाजिक संबंधों में बहुत ज्यादा विस्तार होता है और इसीलिए वहां धार्मिक और आर्थिक विचारधाराओं का प्रभाव भी राजनैतिक विचारधारा पर पड़ता है। लोकतंत्र जैसी विचारधारा सभी नागरिकों के कल्याण की विचारधारा (एक आर्थिक विचारधारा) के रूप में कल्याण के लिए समर्पित रहेगी। एक बहु–धार्मिक समाज में धर्मनिरपेक्षता की भी आशा रहेगी। साम्यवाद एक विचारधारा के रूप में सबसे अच्छा उदाहरण है जो राजनैतिक और अन्य क्षेत्रों तक फैला हुआ है। साम्यवाद धर्म के खिलाफ है और कम से कम प्रारंभिक अवस्था में, एक अधिनायकवादी सामाजिक संरचना के लिए समर्पित है। हालांकि, अपने शुद्धतम रूप में एक विचारधारा के रूप में साम्यवाद, जैसा कि कार्ल मार्क्स द्वारा कल्पना किया गया था, दुनिया में कहीं भी प्रचलन में नहीं पाया गया है।

आधुनिक राजनैतिक प्रक्रिया की एक विशिष्ट विशेषता गैर–राजनैतिक मुद्दों और घटकों का एक बड़े पैमाने पर राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश भी है। इस प्रकार, भारत सहित दुनिया के कई देशों में राजनैतिक दलों की विचारधारा में जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय विचारों का दवाब बढ़ना प्रारम्भ हो गया है। कई देशों में तो धार्मिक कट्टरवाद ने भी अपनी जगह बना ली है। राजनैतिक दलों में अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक और प्रवृत्ति का विस्तार हो रहा है जिसमें ज्यादातर मामलों में चरमपंथी तरीकों का पालन करना भी है। ये दुनिया के कई देशों में राजनैतिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक पैटर्न बनते जा रहे हैं।

राजनैतिक विचारधारा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में आतंकवाद के साथ–साथ कट्टरवाद का उदय हुआ है जिससे राज्य के सामाजिक–राजनैतिक आधार के विनाश के अलावा राजनैतिक आधुनिकीकरण के पैटर्न में अप्रत्याशित वृद्धि भी संभावित है। उदाहरण के लिए, भारत में पंजाब, कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर और उत्तर बंगाल,

कर्नाटक के कई हिस्सों में धार्मिक कट्टरवाद और जातीयता के साथ–साथ भाषाई आंदोलनों का उभार हुआ जो अक्सर आतंकवाद से प्रेरित होते हैं, इस प्रकार के उदाहरण दिखाते हैं कि ये समस्या लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। प्रजातीय रूप से बहुलतावादी समाजों में प्रमुख जातीय समूहों से संबंधित राजनैतिक अभिजात वर्ग अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जातीयता को एक सुविधाजनक विचारधारा के रूप में उभार रहे हैं।

9.3.2 संरचना और अल्पतंत्र

एक राजनैतिक प्रणाली का एक अन्य घटक इसकी संरचना है। किसी भी समाज की राजनैतिक संरचना कभी न कभी अपने समय की शासक दल या शासकों की विचारधारा से प्रभावित होती है। इतना ही नहीं बल्कि यह सामाजिक संरचना, मूल्यों और समाज के विकास के स्तर से भी प्रभावित होता है। वास्तव में संरचना और मूल्य एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं और विकास को भी प्रभावित करते हैं। पारंपरिक सामाजिक संरचना और अधिनायकवादी मूल्य एक साथ चलते हैं जबकि आधुनिक सामाजिक संरचना और लोकतांत्रिक मूल्य एक साथ चलते हैं। निश्चित रुप से कुछ समाजों में क्रम परिवर्तन भी संभव हैं लेकिन वे अपवाद ही हैं। कई मामलों में सामाजिक संरचना और मूल्यों ने विकास में बाधाओं को भी जन्म दिया है। कम से कम उन्होंने विकास के गति को धीमा तो कर ही दिया और कुछ देशों में आधुनिकीकरण के प्रयासों को भी धीमा कर दिया। राजनैतिक दृष्टिकोण से, उन्होंने समाजों की राजनैतिक संस्कृतियों और उनके राजनैतिक अभिजात्य वर्ग के स्वरूप को बदल दिया है। इस प्रकार समाजों की राजनैतिक प्रणाली को प्रभावित किया है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब हम अल्पतंत्र की बात करते हैं तो कोई भी समय सीमा स्पष्ट नहीं होता है। अल्पतंत्र में एक छोटा शक्ति समूह अनिश्चित काल तक रह सकता है।

राजनैतिक संस्कृति और राजनैतिक अभिजात्य वर्ग के अभिविन्यास के आधार पर राजनैतिक संरचनाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

i) पारंपरिक अल्पतंत्र

ii) अधिनायकवादी अल्पतंत्र

iii) अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण

iv) संरक्षात्मक लोकतंत्र, और

v) राजनैतिक लोकतंत्र।

vi) पारंपरिक अल्पतंत्र

i) पारंपरिक अल्पतंत्र

यह आमतौर पर राजशाही और राजवंश के स्वरूप में होता है और किसी भी संविधान के बजाय प्रथाओं पर आधारित होता है। सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग और नौकरशाही की नियुक्ति नातेदारी या समाजिक स्थिति के आधार पर की जाती है। शासक का लक्ष्य प्रणाली की स्थिरता और रखरखाव करने का होता है। अपने हित में यह आधुनिकीकरण की योजनाएं शुरू कर सकता है, जैसे सेना और नौकरशाही का आधुनिकीकरण और कल्याणकारी कार्यक्रम भी शुरू कर सकता है, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य राजवंशीय शासन को ही बनाये रखना होता है।

ii) अधिनायकवादी अल्पतंत्र

इस प्रकार की राजनीति का असर समाज में गहरा होता है। सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के हाथों में शक्ति का उच्च स्तर केन्दित होता है और सामाजिक गतिशीलता की उच्च गति भी समाहित होती है। चीनी शासन इस प्रकार के अलपतंत्र का एक अच्छा उदाहरण है।

iii) अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण

इस प्रकार की शासन व्यवस्था में राजनैतिक प्रकार्य सत्तारूढ़ गुट और नौकरशाही में केंद्रित होती है और यहीं इसकी विशेषता भी है। यहाँ प्रतिस्पर्धी राजनैतिक दलों की अनुपस्थिति भी होती है। संघों और हित समूह सीमित गतिविधि के साथ मौजूद होते हैं। सरकार द्वारा मीडिया को नियंत्रित किया जाता है। आमतौर पर सत्तारूढ़ दल अभिजात वर्ग विकास और आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध होता है। लैटिन अमेरिकी राज्यों में से कुछ राज्य इसके उदाहरण हैं ।

iv) संरक्षात्मक लोकतंत्र

इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसने लोकतंत्र, औपचारिक मताधिकार, संघ की स्वतंत्रता और भाषण के साथ–साथ लोकतंत्र के संरचनात्मक स्वरूपों के औपचारिक मानदंडों को स्वीकार किया है। लेकिन कार्यपालिका और नौकरशाही में के भीतर ही शक्ति केंद्रित होती है। विधायिका अपेक्षाकृत शक्तिहीन होती है और न्यायपालिका हमेशा हस्तक्षेप से मुक्त नहीं होती है। कार्यपालिका लोकतंत्र को टुकड़ों में स्थापित करना चाहती है। यहाँ पर धारणा यह होता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए लोग अभी परिपक्व नहीं हैं, अतः राजनैतिक व्यवस्था रास्ते से भटक सकती है और अस्थिर भी हो सकती है। 1988 के अंत तक पाकिस्तान इस प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण था।

v) राजनैतिक लोकतंत्र

ये ऐसी प्रणालियाँ हैं जो स्वायत्त अधिकारियों, विधायिकाओं और न्यायपालिका के साथ कार्य करती हैं। राजनैतिक दल और मीडिया स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धी होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में स्वायत्त हित समूह और दबाव समूह होते हैं। उदाहरण के तौर पर यू एस ए और यू के जैसे राष्ट्र हैं। भारत जैसे कुछ विकासशील देश भी इसी प्रकार के राजनीतिक प्रणालियों के उदाहरण हैं जो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

जैसा कि पहले बताया गया था, पांचों राजनैतिक प्रणालियों में राजनैतिक संरचनाएं काफी अलग–अलग होंगी। राजनैतिक लोकतंत्रों में राज्य के तीन अंगों जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के पास पर्याप्त स्वायत्तता होता है लेकिन राजनैतिक दल और मीडिया अपेक्षा.त स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धी भी होते हैं। अधिकांश मामलों में, एक लिखित संविधान होगा जो इन तीनों निकायों की शक्तियों और कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। अन्य सभी राजनैतिक प्रणालियों में या तो इन निकायों के लिए कोई स्वायत्तता नहीं होती है, या जब स्वायत्तता मौजूद होती है तो सीमित मात्रा में होती है। गैर–सरकारी संरचनाओं को भी शासकों की इच्छा के अनुरूप चलाना होता है।

बोध प्रश्न 1

1) राजनीतिक प्रणाली के प्रमुख तत्वों का संक्षेप में वर्णन करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) राजनीतिक संरचनाओं की प्रमुख श्रेणियों का नामः

ए)

बी)

सी)

डी)

ई)

3) लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्वायत्त होता है।

हाँ/नही

4) पारंपरिक अल्पतंत्र में नौकरशाहों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है।

हाँ/नही

5) भारत एक संरक्षात्मक लोकतंत्र का एक उदाहरण है।

हाँ/नही

9.4 लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली का प्रकार्य

आमतौर पर राजनैतिक प्रणाली कुछ अच्छी तरह से परिभाषित प्रकार्य करती है। एक राजनैतिक प्रणाली के प्रमुख प्रकार्यों को दो व्यापक आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता हैः अंतर्गामी प्रकार्य और बहिर्गामी प्रकार्य।

i) राजनैतिक समाजीकरण और नियुक्ति

ii) हित व्यक्त करना (Interest articulation)

iii) हित संघनन (Interest aggregation)

iv) राजनैतिक सम्प्रेषण

बहिर्गामी प्रकार्यः

v) नियम बनाना

vi) नियम लागू करना

vii) नियम का अधिनिर्णय

दरअसल, एक ओर जहाँ, अंतर्गामी प्रकार्य (इनपुट फंक्शन) का पहला (समुच्चय सेट) गैर–सरकारी उप–प्रणालियों में परिलक्षित होता है वहीं दूसरी ओर बहिर्गामी प्रकार्य (output function) का दूसरा गुट (set) सरकारी उप–प्रणालियों में परिलक्षित होता है।

9.4.1 राजनैतिक समाजीकरण और नियुक्ति

राजनैतिक समाजीकरण एक व्यक्ति को राजनैतिक संस्कृति में शामिल करने की प्रक्रिया है। यह सामान्य समाजीकरण का एक हिस्सा है लेकिन इसका केंद्र बिंदु और उद्देश्य अलग–अलग संदर्भ में होता है। सामान्य समाजीकरण के विपरीत राजनैतिक समाजीकरण बचपन के बाद से प्रारम्भ होता है। राजनैतिक समाजीकरण के दो मुख्य घटक हैं। प्रथम, राजनैतिक व्यवहार और राजनैतिक मामलों से संबंधित सामान्य मूल्यों और मानदंडों का अंतर्निवेशन होना है और दूसरा व्यक्ति को किसी विशेष राजनैतिक पार्टी में शामिल कराना और पार्टी की विचारधारा के साथ–साथ और उससे संबंधित कार्यक्रमों से उसे अवगत कराना होता है।

पहला सामान्य कार्य शैक्षणिक प्रणाली और राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा किया जाता है। लोकतांत्रिक देशों में और जो लोग लोकतांत्रिक मॉडल को अपनाते हैं उनके लिए राजनैतिक समाजीकरण के दो घटक अलग–अलग होते हैं। पहला उद्देश्य कुछ सामान्य समझ पर आधारित होना चाहिए जैसे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जबकि दूसरा लक्ष्य पार्टी के अनुसार अलग–अलग हो सकता है। अल्पतंत्र में समाजीकरण के एजेंसियां कमोबेश एक जैसी ही होती हैं। सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग जनता की राजनैतिक शिक्षा को इस तरीके से लागू करता है जिससे उनकी अभिजन शक्ति का नाश नहीं हों और जनता भी प्रभावित हों। सत्तारूढ़ अभिजन वर्ग की यह प्रवृत्ति अपने हित में होती है। इस प्रकार, जो सिद्धांत अग्रेषित किया जाता है उससे अभिजन सत्ताधारी वर्ग की छवि अच्छी दिखाई देती है।

राजनैतिक समाजीकरण का एक अन्य पहलू गैर–राजनैतिक उप–प्रणालियों के भीतर होने वाला समाजीकरण का है, जो अक्सर राजनीति में प्रवेश करते हैं। ये प्रजातीय, धार्मिक, भाषाई और अन्य विशिष्ट संगठन हैं जो सदस्यों की आंतरिक भावनाओं से खेलते हैं और अपनी विचारधारा को लागू करने के लिए राजनीति में या तो प्रवेश करते है या प्रयास करते हैं। दरअसल, वे एक समाज के सुचारू राजनैतिक विकास के लिए खतरा होते हैं, लेकिन वे लोग ही दुनिया भर में महत्व हासिल कर रहे हैं, जिनका सामना करना कठिन है। विकासशील समाजों में ऐसा अधिक होता है जहाँ इस तरह के सिद्धांत का उपयोग चतुर राजनेताओं द्वारा जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

राजनैतिक नियुक्ति का अर्थ है–राजनैतिक क्षेत्रों और राजनैतिक भूमिका में नियुक्ति का तय होना। एक आधुनिक राजनैतिक प्रणाली में सभी नागरिक राजनैतिक प्रक्रिया में शामिल होते हैं और यहां तक कि जब वे किसी भी राजनैतिक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता नहीं होकर भी वे राजनैतिक रूप से इसमें भाग लेते हैं। अल्पतंत्रीय राजनैतिक व्यवस्था में चुनाव केवल एक औपचारिक पद्धति हो सकता है, यहां तक कि नागरिक को चुनाव से जुड़ी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है जिसमें सभी प्रकार के राजनैतिक अधिस्वर शामिल होते हैं। इसी प्रकार से समाज के सभी व्यक्ति का राजनैतिक समाजीकरण भी होता है, और राजनैतिक भूमिकाओं और प्राधिकरणों में वास्तविक नियुक्ति केवल उन लोगों तक सीमित होगी जो अर्हता प्राप्त करते हैं। यह अपरिहार्य है, क्योंकि सामान्य समाजीकरण भी स्वयं इस तरह की कार्य–पद्धति का अनुसरण करता है।

राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के लिए सामाजिक आधार व्यापक या संकीर्ण हो सकता है। अरब देशों में यह आधार संकीर्ण, पितृसत्तात्मक और अल्पतंत्रीय है, जबकि भारत में यह आधार व्यापक और प्रतिस्पर्धी है। पहली श्रेणी में, नेताओं को उस सामाजिक समूहों से नियुक्त किया जाता है जो ऐतिहासिक रूप से प्रमुख वर्ग जैसे धनी और कुलीन

परिवार वर्ग से जुड़े होते हैं। अन्य श्रेणियों में जैसे कि सिविल सेवक, सेना के अधिकारी और पेशेवर–व्यावसायिक समूह के साथ–साथ शहरी शिक्षित वर्ग से आते हैं। पितृसत्तात्मक समाजों में व्यावसायिक और व्यावसायिक अभिजात वर्ग और अन्य आधुनिक समूह बड़े पैमाने पर गैर–प्रतिभागी होते हैं, लेकिन उनका आधुनिकीकरण होने से राजनैतिक क्षेत्र में अब वे भी प्रतिस्पर्धी बनते जा रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन के कारण पारंपरिक तत्व अब पीछे छूट रहा है और ये समूह भी आगे आने के लिए सक्षम हो रहे हैं।

व्यापक आधार वाले समाज को राजनैतिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के द्वारा चिन्हित होते हैं, लेकिन ज्यादातर शहरी व शिक्षित मध्यम वर्ग के व्यक्ति ही राजनीति की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं और यह वे लोग हैं जो राजनैतिक दलों में नियुक्ति के लिए संभावित अपेक्षाओं के अनुरूप होते हैं। प्रतिस्पर्धा सामाजिक गतिशीलता विशेषता है और सामाजिक परिवर्तन का एक भाग है, यह संतुलन को बिगाड़ सकती है ताकि गैर–मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए राजनीति में शामिल होना भी अब संभव हो रहा है।

9.4.2 हित अभिव्यक्ति

हित अभिव्यक्ति का अर्थ सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए एक राजनैतिक प्रणाली में अपने हितों की अभिव्यक्ति है। सभी राजनैतिक प्रणालियों में नागरिकों की जरूरतों और समस्याओं को राज्य के द्वारा ध्यान रखा जाता है। आधुनिक समाजों की जटिल और अन्योन्याश्रित प्रकृति के कारण व्यक्तियों की छोटी समस्याएं भी बहुत ही प्रभावी हो सकती हैं और इतना ही नहीं बल्कि कहीं और स्थित एजेंसी द्वारा उनके समाधान की आवश्यकता भी हो सकती है। किसी व्यक्ति की कई समस्याएं उसके नियंत्रण से बाहर भी हो सकती हैं और उनके समाधान के लिए राज्य के द्वारा मदद की जरूरत भी हो सकती है। कई बार समस्याएं राजनैतिक नहीं हों फिर भी समाधान के लिए राजनैतिक (राज्य) के द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, समस्या के हल की आवश्यकता के लिए, इसे व्यक्त करना होगा। आमतौर पर चूंकि निर्णय लेने वाली एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत मांगों को सुनना या हल करना मुश्किल होता है, तब उन्हें सामूहिक रूप से व्यक्त करना भी जरूरी होता है और जिन लोगों की समस्याएं एकसमान होती हैं वे लोग एक साथ जुड़ भी जाते हैं। उनकी अभिव्यक्ति के तरीके के आधार पर उन्हें संस्थागत हित समूहों, साहचर्य हित समूहों, गैर–सहयोगी हित समूहों और आर्थिक समूहों में विभाजित किया जा सकता है।

9.4.2.1 संस्थागत हित समूह

चर्च, नौकरशाही, सेना और विधायिका आदि विधिवत रूप से स्थिर और संस्थागत ढांचे के स्वरूप होते हैं। यद्यपि उनके आधिकारिक कार्यों का स्वरूप स्पष्ट होता है और इनके बीच एक सक्रिय समूह भी होता है जो सुधार या सामाजिक न्याय जैसे कार्यों में संलग्न होता है और इतना ही नहीं बल्कि इनके विचारों को प्रसारित करने के लिए औपचारिक संरचना का प्रयोग भी करता है जो निर्देशित कार्यों की श्रेणी में नहीं आता है। कई विकासशील देशों में नौकरशाही या सेना में कुलीन–अभिजन वर्ग या गरीब या दलितों के हितों के प्रश्नों को उठाया जा सकता है।

9.4.2.2 संगठनात्मक हित समूह

इसके उदाहरण हैं– व्यापार संघों, प्रबंधकों, व्यापारियों और व्यापारियों के संघों और गैर–आर्थिक गतिविधियों और प्रजातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों या नागरिक समूहों, युवा संगठनों आदि। ये सभी विभिन्न प्रकार की संगठनात्मक हित समूह हैं। इन

संस्थानों के पास हितों के मांग हेतु स्वयं की स्थापित प्रक्रियाएं होती हैं और अन्य राजनैतिक संरचनाओं जैसे कि राजनैतिक दलों, विधानसभाओं, नौकरशाहों, आदि संस्थानों में मांगों को पहुँचाने के लिए एक प्रकार से माध्यम का कार्य करती है। अधिकांश विकासशील देशों में यह देखा गया है की इस प्रकार के संघों का राजनैतिक झुकाव भी स्पष्ट होता है और इन संघों में व्यापार संघ और युवा संगठन भी शामिल होते हैं। वास्तव में ये राजनैतिक दलों के एक प्रकार के मुखौटा होते हैं। हालांकि, इन संघों या संगठनों की विशेष विशेषता यह है कि इनके लक्ष्य और साधन भी निश्चित होते हैं।

9.4.2.3 गैर–संगठनात्मक हित समूह

ये ऐसे समूह हैं जो औपचारिक रूप से स्थापित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जाति या धार्मिक या पारिवारिक पदों के कारण महत्वपूर्ण होते हैं। किसी समस्या के बारे में संबंधित अधिकारी या मंत्री से मिलने के लिए एक अनौपचारिक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, एक निश्चित शुल्क के संग्रह से संबंधित या सरकारी नियम में परिवर्तन आदि। यह जरूरी नहीं है कि हितों की अभिव्यक्ति हेतु एक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से ही व्यक्त किया गया हो। यह भी संभव है कि एक औपचारिक या अनौपचारिक रूप से, एक समूह का प्रवक्ता अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायतों को उठा सकें। किसी भी रूप में वह अवसर मांगों की अभिव्यक्ति के उद्देश्य को पूर्ण करता है।

9.4.2.4 अनियोजित हित समूह

ये ऐसे समूह हैं जो यकायक या अचानक बनते हैं और अपेक्षाकृत अस्थिर और अल्पकालिक होते हैं, जैसे कि दंगा या प्रदर्शन। यहां हम हिंसक राजनैतिक प्रदर्शनों को शामिल नहीं करते हैं। कई बार रैलियों में ताकत दिखाने और राजनैतिक दलों और उनके समर्थकों के द्वारा किये गए मार्च को भी शामिल नहीं करते हैं। इस समूहों में अल्पकालिक उद्देश्य वाले समूह को ही शामिल किया जा सकता है क्यूँकि इनके अभिव्यक्ति के तरीके अप्रभावी होते हैं। कभी–कभी ये अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए स्थिर होते हैं तो इस स्थिति में वे संघ बन जाएंगे।

9.4.3 हित समुच्चयन

हित समुच्चयन का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के हित समूहों द्वारा अभिव्यक्त की गई मांगों की छटनी कर एकत्रीकरण करना है। हित समुच्चयन सामान्य नीतियों के निर्माण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, और जिसमें हितों को संयुक्त रूप से समायोजित किया जाता है। यह राजनैतिक दलों द्वारा या सत्ताधारी अभिजात वर्ग द्वारा या सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। यह भी संभव है कि हित संबंधी एजेंसियां स्वयं इन हितों को एकत्रित करें और उन्हें नीति निर्माताओं के समक्ष प्रस्तुत करें। यह उदाहरण दिया जा सकता है कि समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति से संबंधित मुद्दों को महिलाओं के संगठनों द्वारा उठाया गया और इन संगठनों के द्वारा सरकार पर महिलाओं के विकास हेतु नीतियों को बनाने के लिए दबाव डाला गया। हालांकि, सरकार ने इस मुद्दे की प्रांसगिकता को समझते हुए महिला विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार किया। जिन समाजों में राजनैतिक प्रकार्यों को स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं किया गया है, वहां हितों की अभिव्यक्ति और उनका समुच्ययन आम तौर पर संयोजित किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्यों को पर्याप्त रूप से विशेषीकरण नहीं किया गया है। जैसे–जैसे राजनैतिक प्रकार्य विकसित होते हैं, वैसे–वैसे समुच्ययन और अभिव्यक्ति के कार्य भी विभाजित होते जाते हैं। आधुनिक समाजों में राष्ट्रीय स्तर पर संघों ने स्थानीय इकाइयों

की मांगों को एकत्रित करके, और उन्हें विचार के लिए आधिकारिक निकाय के सामने पेश करते हैं। यहाँ ये शीर्ष निकाय हित अभिव्यक्ति के साथ–साथ हित समुच्चयन के रूप में भी कार्य करते हैं। हालांकि, यह याद रखना होगा कि दोनों का कार्य अलग–अलग है। पहला हित की अभिव्यक्ति है, जबकि दूसरा कार्यान्वयन के रूप में विभिन्न हितों का संयोजन है।

दरअसल, समुच्चयन के प्रकार्यों को राजव्यवस्था के भीतर अन्य प्रणालियों द्वारा सम्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार, संस्थाएं और संघ अपनी मांगों को स्पष्ट कर सकते हैं, और उन्हें एक संगठित रूप में रख सकते हैं और उन्हें राजनैतिक प्रणाली में प्रस्तुत कर सकते हैं। यहां तक कि वे व्यक्तियों और समूहों की मांगों को उठाते हैं और उन्हें अपने घोषणापत्र में शामिल करते हैं। वैकल्पिक रूप से, ऐसी राजनैतिक प्रणाली में, एक–दूसरे के साथ सहानुभूति रखने वाले राजनैतिक दलों को कार्यवाही के लिए उनकी मांगों को एकत्र करने में मदद मिलती है।

कई बार संघों द्वारा मांगी गयी मांगों को स्वीकार करना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। हमारे अपने देश में ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि स्वतंत्र व्यापार संघों (ट्रेड यूनियन) के द्वारा सत्ता में राजनैतिक पार्टी के साथ श्रम मोर्चों के साथ खुद को जोड़ते हैं तो कुछ व्यापार संघों (ट्रेड यूनियनों) का अपना राजनैतिक झुकाव भी होता है और वे सत्ताधारी पार्टी के करीब भी होते हैं। हित समुच्चयन राजनैतिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह समूह अलग–अलग रूप से सक्षम भी होते हैं और कई मामलों में परस्पर विरोधी मांगों को हल करने हेतु कई बार मांगों के एकल सेट में या विभिन्न सेटों में समेकित करने योग्य बनाते हैं, जो कि व्यावहारिक भी है और इसी कारण राजनैतिक प्राधिकरण उन्हें गंभीरता से लेता भी है। बहुदलीय व्यवस्था में जहां पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, वहां सभी महत्वपूर्ण मांगों का ध्यान रखा जाता है।

किसी भी राजनैतिक प्रणाली में जहां एक प्रभुत्वशाली पार्टी होती है और छोटे–छोटे विपक्षी दल हों, वहां हित समुच्ययन एक मुश्किल काम है। पार्टी के भीतर अगर पारंपरिक तत्व मजबूत हों तो आधुनिकीकरण के प्रयासों का विरोध होता है। ऐसा ही पारंपरिक तत्वों के कमजोर या अस्तित्वहीन होने पर भी होगा किन्तु लोगों के बीच विषमता मजबूत होती है। इस प्रकार, ऐसी जनसंख्या वाला एक समाज जो प्रजातीय, भाषाई और सांप्रदायिक रेखाओं में विभाजित हों तो प्रमुख राजनैतिक दल के लिए समाजिक समूहों के हितों को एकत्र करना एक बड़ी समस्या है। उस स्थिति में, पार्टी सामंजस्य मुसीबत में आ जाता है। ऐसी स्थिति में पार्टी के भीतर विभाजन भी हो सकता और नए दलों का निर्माण भी हो सकता है। उसके बाद भी यह हितों के बेहतर समुच्ययन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर, यह एक और उपव्यवस्था (उदाहरण के लिए नौकरशाही) के हाथों को मजबूत करेगा, जिसकी ओर हित समूह अपने हितों के लिए मदद मांगने के लिए उन्मुख होते हैं।

9.4.4 राजनैतिक सम्प्रेषण

सम्प्रेषण किसी भी सामाजिक व्यवस्था का जीवन–रक्त होता है। संचार के माध्यम से ही अन्तः वैयक्तिक संबंध के साथ–साथ बौद्धिक जन मानस संबंध बनाए जाते हैं। किसी भी राजनैतिक प्रणाली में भी यह समान रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी प्रकार के राजनैतिक कार्य जैसे–समाजीकरण, नियुक्ति, अभिव्यक्ति, समुच्ययन और पूरे नियम निर्माण, प्रवर्तन और अधिनिर्णयन की प्रक्रिया संप्रेषण पर निर्भर होती हैं। सूचना जो किसी भी तर्कसंगत कार्रवाई में एक आवश्यक साधन होता है, सम्प्रेषण के माध्यम से ही सुलभ होती है। फिर

भी यह संचार का साधन ही है जो राजनैतिक प्रणाली को कुशलतापूर्वक और जिम्मेदार तरीके से काम को अंजाम देता है।

एक स्वायत्त, तटस्थ और पूरी तरह से प्रभावी संचार प्रणाली सक्रिय और सशक्त मतदाता और नागरिकता के विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक है। यह एक परिपक्व लोकतंत्र में ही संभव है। विकासशील देशों में संचार के कई साधनों, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (रेडियो और टेलीविजन) को सरकार नियंत्रित करती है। इन देशों में, प्रेस को हित समूहों द्वारा नियंत्रित किया जाता है ताकि इससे निकलने वाली जानकारी चयनित और पक्षपाती हों। कम साक्षरता स्तर और परिवहन के खराब साधन के कारण समाचार पत्रों और अन्य प्रिंट मीडिया के प्रसार को प्रतिबंधित किया जाता है जबकि गरीबी के कारण रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से संचार के प्रसार का प्रतिबंधित हो जाता है। कई आधुनिक राजनैतिक प्रणालियों में, राजनैतिक दल अपने अनुयायियों को शिक्षित और सूचित करने के लिए अपने स्वयं के समाचार पत्र चलाते हैं लेकिन उनके माध्यम से जो जानकारी आती है वो भी उनके द्वारा चुनी हुई होती है।

यहां तक कि आधुनिक समाज में भी जहां जन–संचार माध्यमों की व्यापक पैठ होती है, वहां भी व्यक्ति–से–व्यक्ति में संप्रेषण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। विकासशील समाजों में, राय बनाने वाले और अभिजन लोग उपलब्ध सूचनाओं की जांच करने और वांछित अन्य अनुयायियों को पालन करवाने में कामयाब हो जाते हैं। यह एक कारण है कि भारत सरकार भी परिवार कल्याण कार्यक्रमों में मदद करने के लिए सरकार नेताओं का समर्थन चाहती है। विकासशील देशों में राजनैतिक दलों ने ग्रामीण जनता तक पहुँचने में व्यक्ति–से–व्यक्ति के बीच सम्प्रेषण का साधन अपनाया है और जो निरक्षर हैं और जो बड़े पैमाने पर मीडिया से दूर हैं उनके लिए उपयोगी रहा है।

आधुनिक समाजों में राजनैतिक सूचना जो सरकार से लोगों तक पहुँचती है वह परिमाण में नागरिक द्वारा सरकार को संप्रेषित सूचना से बहुत अधिक होती है। इसलिए सरकार संचार नेटवर्क का व्यापक उपयोग करती है चाहे वह सरकार द्वारा नियंत्रित हो या समाचार पत्रों द्वारा नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या नौकरशाही के माध्यम से परिपत्रों और आदेशों के रूप में भेजे गए आधिकारिक पत्र हों।

9.4.5 सरकारी प्रकार्य

आधुनिक सरकारों के सभी प्रकार्यों के अंतर्गत सरकारी प्रकार्यों को मुख्य रूप से तीन भागों में बाँटा जा सकता है। वे हैं: नियम बनाना, नियम का परवर्तन और नियम का अधिनिर्णय।

आधुनिक राजनैतिक प्रणालियों का एक गुण सरकारी कार्यों में विशेषता बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार, नियम बनाना ज्यादातर विधायिका के द्वारा किया जाता है और अंशतः कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, जबकि नियम प्रवर्तन कार्यपालिका द्वारा नौकरशाही की मदद से किया जाता है। न्याय का निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाता है, जो कि आधुनिक देशों में, कार्यपालिका विधायिका से मुक्त होती है। हालांकि, दो ऐसे कारक हैं जो इस स्थिति में अंतर पैदा करते हैं। अधिकांश आधुनिक समाजों में, सरकारी कार्यों में औपचारिक और अनौपचारिक व्यवस्था के बीच व्यापक अंतर होता है। औपचारिक व्यवस्था देश के संविधान में सन्निहित होती है, इसलिये यह वास्तविक व्यवहार में इसे कम अपनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सही स्वरूप में किसी राष्ट्र की राजनैतिक संस्कृति और सरकार के स्वरूप पर निर्भर करती है।

सोचें और करें 1

क्या आपको लगता है कि भारत में जन संचार, जिसमें रेडियो, टी वी, समाचार पत्र आदि शामिल हैं, जनता को मतदान करने और एक उपयुक्त सरकार चुनने की राजनैतिक प्रक्रिया में प्रशिक्षित करने में कारगर हैं? ''भारत में राजनैतिक शिक्षा के प्रसार में जनसंचार माध्यमों की भूमिका'' पर दो पृष्ठों की रिपोर्ट लिखें। अपने अध्ययन केंद्र में अन्य शिक्षार्थियों और अपने अकादमिक परामर्शदाता के साथ अपनी रिपोर्ट साझा करें।

बोध प्रश्न 2

1) एक राजनैतिक प्रणाली के प्रमुख कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) एक राजनैतिक प्रणाली के प्रमुख हित समूहों का नाम बताइए।

ए)

बी)

सी)

डी)

इ)

3) राजनैतिक समाजीकरण किसी व्यक्ति को समाज की राजनैतिक प्रणाली में शामिल होने की प्रक्रिया है।

हाँ नहीं

4) बच्चे के जन्म के साथ ही राजनैतिक समाजीकरण शुरू हो जाता है।

हाँ नहीं

5) सरकार के कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें।

9.5 राजनैतिक प्रक्रियाएँ

राजनैतिक प्रणाली के भीतर और राजनैतिक प्रणालियों के बीच होने वाले क्रियाकलाप को राजनैतिक प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें व्यक्ति और राज्य के अंतर्गत आने वाले अभिकरण जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, राजनैतिक दल, संचार माध्यम और राज्य के भीतर अन्य एजेंसियां भी शामिल होते हैं। हित समूह की गतिविधियाँ राजनैतिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं, वे भी राजनैतिक प्रणाली का ही हिस्सा होते हैं। राजनैतिक संरचना के प्रकार के आधार पर ये प्रक्रियाएँ अलग–अलग होती हैं। लोकतंत्र में, उदाहरण के लिए, कार्यपालिका विधायिका के लिए जिम्मेदार होगी, कानून बनाना विधायिका की जिम्मेदारी होगी और अदालतें कार्यपालिका या शासक समूह के हस्तक्षेप के

बिना कार्य करेंगी। राजनैतिक दल और जनसंचार माध्यम बड़ी स्वतंत्रता के साथ कार्य करते हैं और समाज में भीतर तक गहरी पैठ भी बनाते हैं। दूसरी ओर, नियंत्रित या निर्देशित लोकतंत्र में, स्वतन्त्रता प्रतिबंधित होती हैं जबकि पूर्ण लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। अलग–अलग एजेंसियां मौजूदा हो सकती हैं, लेकिन सत्ताधारी कुलीन वर्ग की, या अधिक बार, एक शासक के द्वारा नियंत्रित की होंगीं। तीनों प्रकार के अल्पतंत्र भी विभिन्न राजनैतिक प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। एक अधिनायकवादी राज्य में, उदाहरण के लिए, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच बहुत अंतर नहीं होता है। सभी एक साथ शासक समूह या व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो जाते हैं।

9.6 वैधता का आधार

शक्ति का बलपूर्वक उपयोग करना किसी राज्य की विशिष्ट पहचान होती है। इसका अर्थ यह है कि राज्य के पास प्राधिकार है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों और संगठनों को अपने प्राधिकार को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर सकता है और सभी प्रकार के दंडों को भी लागू कर सकता है, जिसमें कारावास और मौत की सजा भी शामिल होता है। व्यक्तियों और संगठनों को राज्य के प्राधिकार को स्वीकार करना होता है। यह राज्य को अंतिम प्राधिकारी की शक्ति से युक्त भी करता है। यह सदस्यों पर किसी भी सजा को अधि.त कर सकता है। इस प्रकार यह अंतिम सत्ताधिकारी भी होता है। अन्यथा नागरिक अपने आप को कानूनी रूप से या नैतिक रूप से भी उनके प्राधिकार को मानने के लिए बाध्य नहीं होगें। इस प्रकार की सत्ता के सभी धारक अपनी शक्ति को वैध बनाने के लिए उत्सुक होते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकार को वैध बनाने के तीन तरीके हैं। वे हैं : (1) पारंपरिक, (2) करिश्माई और (3) कानूनी–तर्कसंगत।

9.6.1 पारंपरिक और करिश्माई प्राधिकार

पारंपरिक प्राधिकार : यह प्राधिकार प्रथा और रिवाज द्वारा अनुमोदित होता है। प्रारम्भ से ही यह प्राधिकार समाज उपस्थित था और किसी ने अब तक इसे चुनौती नहीं दी है। बच्चों के ऊपर माता–पिता के प्राधिकार और राज्य की जनता के ऊपर राजा का प्राधिकार ऐसे ही दावों पर टिके होते हैं।

करिश्माई प्राधिकार : यह चमत्कार से लिया गया है, अर्थात्, कुछ नेताओं की असाधारण शक्ति उनके अनुयायियों को प्रभावित करने के लिए। इन अनुयायियों के अनुसार, उनके नेता के पास कुछ शक्तियां होती हैं जिससे वह उन्हें एक संकट की स्थिति से बाहर निकालने में सक्षम बनता हैं या उन्हें वह सब देता है जो वे चाहते हैं। वे अपने नेता को एक उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं। एक नेता की ये अतिरिक्त–साधारण शक्ति या उसके द्वारा दावा किया गया या वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है, लेकिन अनुयायियों के लिए यह वास्तविक है। अनुयायियों बिना पूछताछ के सभी प्राधिकार सौंपते हैं। महात्मा गांधी, नेताजी और नेपोलियन करिश्माई राजनैतिक नेता थे।

सोचें और करें 2

भारत के कम से कम पाँच करिश्माई नेताओं की सूची बनाएं और ''सामाजिक परिवर्तन के आधार पर करिश्मा'' पर एक निबंध लिखें। अपने साथी समूह के साथ अपने उत्तर पर चर्चा करें।

9.6.2 कानूनी–तर्कसंगत प्राधिकार

कानूनी तर्कसंगत प्राधिकार कानून पर आधारित प्राधिकार होता है। प्राधिकार का उपयोग

करने वाले व्यक्ति को संबंधित कार्यालय के नियमों के अनुसार विधिवत नियुक्त किया जाता है और यह उसे उस कार्यालय में निहित सभी प्राधिकार ों का उपयोग करने का अधिकार होता है। किसी राज्य का राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री जो संवैधानिक रूप से स्थापित विधियों के माध्यम से सत्ता में आते हैं, वे देश के वैध शासक हैं और वहां की जनता उन्हें वैध शासक मानते हैं। चूंकि नियम और कानून तर्क पर आधारित होते हैं, इसीलिए वे तर्कसंगत हैं। वास्तव में, कानून को एक तर्क को मूर्तरूप माना जाता है।

9.6.3 आधुनिक राजनैतिक व्यवस्था की वैधता

आधुनिक राजनैतिक प्रणाली कानूनी तर्कसंगत प्राधिकार के आधार पर काम करती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी अंग स्थापित नियमों के आधार पर स्पष्ट रूप से सौंपे गए सभी कार्यों का निर्वहन करते हैं और अधिकारियों को कार्यालय में सौपें गए सभी कार्यों को निष्पादित करना होता है। उनके द्वारा जो भी कार्यवाही की जाती हैं उन्हें मानने के लिए प्रभावित व्यक्ति कानूनी रूप से बाध्य है। यदि किसी को कोई शिकायत है कि कोई अधिकारी ने मनमाने ढंग से या उसके कार्यालय में निहित शक्ति से बाह्य काम किया है, तो उसके लिए फिर से कानूनी और संवैधानिक उपाय हैं, यानी वह व्यक्ति अदालत में जा सकता है। लेकिन अगर अदालत यह भी तय करती है कि संबंधित अधिकारी सही है, तो उसे उस निर्णय को स्वीकार करना होगा।

आधुनिक राजनैतिक प्रणालियों में सत्ता को क्रांतियों के द्वारा या तख्तापलट से भी प्राप्त कई उदाहरण मिलते हैं। इन तरीकों को कानून द्वारा स्वीकृति नहीं मिलती है और जो व्यक्ति इन विधियों का उपयोग कर सत्ता में आते हैं, उन्हें वैध शासक नहीं माना जाता है। इसलिए, ये लोग अपनी स्थिति को वैध बनाने के लिए चिंतित भी रहते हैं। वे या तो खुद को करिश्माई शक्ति के द्वारा उनका हितैषी होने का दावा करते हैं और यदि लोगों को विश्वसनीय नहीं लगे तो तो वे वैध साधनों के माध्यम से चुनाव के लिए खड़े होने की पेशकश भी करते हैं ताकि वे सत्ता में आ सकें। लंबे समय में, इनमें से कोई भी नेता सत्ता संभालने के अपने दावे के लिए वैधता के चोरों के बिना अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता है।

बोध प्रश्न 3

1) वैधता प्राधिकार का संक्षेप में वर्णन करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) आधुनिक राजनैतिक प्रणाली की वैधता का आधार बताएं।

.....

.....

.....

.....

.....

3) आधुनिक लोकतंत्र में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।

हाँ नहीं

4) एक नेता का करिश्माई प्राधिकार पारंपरिक नियमों और विनिमयों से लिया गया है।

हाँ नहीं

5) कानूनी–तर्कसंगत प्राधिकार कानून पर आधारित होता है।

हाँ नहीं

9.7 सारांश

राजनैतिक निर्णय लेने में नागरिकों की भागीदारी के लिए प्रदान करने वाली एक राजनैतिक प्रणाली, या तो सीधे या राजनैतिक प्रतिनिधियों के चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र के रूप में जानी जाती है। राजनैतिक प्रणाली में पांच तत्वों अर्थात विचारधारा, संरचना, प्रकार्य, प्रक्रिया और वैधता का आधार होता है। विचारधारा एक राजनैतिक प्रणाली के लक्ष्यों और साधनों को परिभाषित करती है। किसी समाज की राजनैतिक संरचना भी प्रचलित विचारधारा से प्रभावित होती है। हालांकि, राजनैतिक संस्कृति के आधार पर किसी समाज की राजनैतिक प्रणाली में निम्न में से कोई भी रूप हो सकता हैः पारंपरिक अल्पतंत्र, आधुनिकतावादी अल्पतंत्र, संरक्षात्मक लोकतंत्र और राजनैतिक लोकतंत्र।

राजनैतिक प्रणाली प्रणालियों के रखरखाव के लिए कुछ प्रकार्य को निष्पादन करना होता है। राजनैतिक प्रणाली के प्रमुख कार्यों में राजनैतिक समाजीकरण और नियुक्ति, हित अभिव्यक्ति, हित समुच्चयन, राजनैतिक सम्प्रेषण, नियम बनाना, नियम लागू करना और नियम का अधिनिर्णय शामिल होता है।

राजनैतिक प्रक्रियाएं जो राजनैतिक प्रणाली के बीच और उनकी परस्पर अंतःक्रिया से निकलती हैं, जो कि राजनैतिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। राजनैतिक संरचनाओं के प्रकारों के आधार पर ये प्रक्रियाएं वास्तव में भिन्न होती हैं। राजनैतिक प्राधिकरण को वैध बनाने के तीन विशिष्ट तरीके हैं। ये हैंः i) पारंपरिक ii) करिश्माई और iii) तर्कसंगत–कानूनी। आधुनिक राजनैतिक प्रणाली एक तर्कसंगत–कानूनी प्राधिकार पर आधारित है। यहां लोग सरकार के द्वारा स्थापित नियमों और कानूनों के आधार पर सरकार के पद को धारण करते हैं और अपने सभी कार्यों का निर्वहन करते हैं।

9.8 प्रमुख शब्दावली

एनोमिक : बिना किसी नियम कानून वाली एक सामाजिक स्थिति।

प्राधिकार : दूसरों पर अपना प्रभाव डालने के लिए किसी की वैध क्षमता। वैधता को पारंपरिक, तर्कसंगत–कानूनी और करिश्माई आधार से प्राप्त किया जा सकता है।

अभिजात वर्ग : वे लोग जिन्होंने अपनी गतिविधि के क्षेत्र में जैसे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, आदि खुद को उत्कृष्ट बनाया है।

तख्तापलट : सैन्य साधनों के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करने वाला शासन व्यवस्था। सत्ता पर कब्जा हिंसक भी हो सकता है या नहीं भी भी हो सकता है।

करिश्मा : अनुयायियों को प्रभावित करने के लिए कुछ नेताओं की असाधारण शक्ति।

हित समूह : विशेष रूप से अपने सदस्यों के कुछ सामान्य हितों की प्राप्ति के लिए गठित समूह।

विचारधाराएं : मान्यताओं और प्रतीकों की एक प्रणाली जिससे अनुयायी प्रभावित हों।

आधुनिकीकरण : उच्च प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता की उच्च दर, शहरीकरण, औद्योगीकरण, सामाजिक गतिशीलता, व्यापक संचार की व्यापक पहुंच, और सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में नागरिक की व्यापक भागीदारी के माध्यम से एक आधुनिक राष्ट्र की समग्र सुविधाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया।

शक्ति : दूसरों पर अपना प्रभाव डालने की क्षमता।

संरचना : व्यक्तियों, समूहों, संस्थानों या संगठनों के बीच संबंधों का जाल।

9.9 उपयोगी पुस्तकें

Kornblum, William, 1988. Sociology in a Changing World. Holt, Renehant and Winston Inc. New York (Ch. 16)

Macionis, John J. 1987, Sociology, Prentice Hall: Inc. New Jersey. (Ch. 16 and 17)

9.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) किसी भी राजनैतिक प्रणाली के सैद्धांतिक तत्व हैं: i) विचारधारा, ii) संरचना, iii) प्रकार्य, iv) प्रक्रिया और v) वैधता का आधार। इन तत्वों का एक विशेष राजनैतिक प्रणाली के अनुरूप सुसंगत अर्थ होता है।

2) ए) पारंपरिक अल्पतंत्र:

   बी) अधिनायकवादी अल्पतंत्र:

   सी) आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर:

   डी) संरक्षात्मक लोकतंत्र: और

   ई) राजनैतिक लोकतंत्र।

3) हाँ

4) नहीं

5) नहीं

बोध प्रश्न 2

1) एक राजनैतिक प्रणाली के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है: राजनैतिक समाजीकरण और नियुक्ति, हित अभिव्यक्ति, हित समुच्चयन, राजनैतिक संचार, नियम बनाना, नियम को लागू करना और नियम का अधिनिर्णयन।

2) ए) संस्थागत हित समूह।

बी) संगठनात्मक हित समूह।

सी) गैर–संगठनात्मक हित समूह और

डी) अनियोजित हित समूह।

3) हाँ

4) नहीं

5) नियम बनाना, नियम का प्रवर्तन और नियम का अधिनिर्णयन सरकार के प्रमुख कार्य हैं। नियम–निर्माण के लिए विधायिका होती है, जबकि नियम प्रवर्तन और नियम अधिनिर्णयन को कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा देखा जाता है।

बोध प्रश्न 3

1) वैधता प्राधिकार के तीन मुख्य आधार हैंः पारंपरिक आधार, करिश्माई आधार और तर्कसंगत कानूनी आधार। पारंपरिक आधार को किसी समाज के पारंपरिक रीति–रिवाजों और प्रथाओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है। नेतृत्व में असाधारण गुण के कारण करिश्माई आधार होता है जबकि तर्कसंगत कानून के द्वारा तर्कसंगत कानूनी आधार का निर्माण होता है।

2) किसी आधुनिक राजनैतिक प्रणाली तर्कसंगत कानूनी प्राधिकार के आधार पर काम करती है। स्थापित नियमों के आधार पर सरकारी कार्यालय में सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। भारतीय राजनैतिक प्रणाली तर्कसंगत कानूनी प्राधिकरण के आधार पर काम करती है।

3) हाँ

4) नहीं

5) हाँ

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY